मध्यप्रदेश शासन,
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक–बी–3–30 / 2000 / 14–2 भोपाल, दिनांक 12 मई, 2007

प्रति,

1. कलेक्टर,
   जिला..................................(समस्त)
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जिला..(समस्त)
3. उप संचालक कृषि,
   जिला..(समस्त)

विषयः–विभाग की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत ट्रैक्टर एवं पावर टिलर पर अनुदान व्यवस्था में परिवर्तन करने बाबत ।

संदर्भः– इस विभाग का ज्ञाप क्रमांक बी–3–30 / 2000 / 14–2, दि0 31 अगस्त, 2001

इस विभाग की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत ट्रैक्टर एवं पावर टिलर वितरण हेतु विभाग की ज्ञाप क्रमांक बी–3–30 / 2000 / 14–2 दिनांक 31 अगस्त,2001 से हितग्राही चयन , अनुमोदन एवं क्रियान्वयन लक्ष्यों का निर्धारण एवं तकनीकी सावधानियों के सम्बन्ध में जारी निर्देश जारी किये गये है ।

(2) उपरोक्त ज्ञाप में आंशिक संशोधन करने हेतु क्रमांक 6,7,8 एवं 9 में दिये गये मार्गदर्शी निर्देशों को एतद द्वारा निरस्त कर निम्नानुसार प्रक्रिया अंर्तस्थापित की जाती है :–

योजना के अन्तर्गत हितग्राही का चयन एवं अनुदान भुगतान व्यवस्था –

1. किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की मैक्रो मैनेजमेंट योजनान्तर्गत जिलावार लक्ष्य संचालनालय स्तर से जिलों को भेजा जावेगा । जिला स्तर पर यह लक्ष्य विकासखण्डवार जिला पंचायत द्वारा पूर्व निर्धारित प्रक्रिया अनुसार विभाजित किया जावेगा ।
2. जिला पंचायत द्वारा अनुमोदित लक्ष्य की जानकारी उप संचालक कृषि द्वारा सभी जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों व विभागीय अमले को दी जावेगी ।
3. किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के क्षेत्रीय अमले द्वारा विकासखण्ड स्तर पर विभिन्न वर्गो के हितग्राहियों की सूची लक्ष्य की तुलना में डेढ़ गुना संख्या में तैयार की जायेगी । इस सूची का अनुमोदन जनपद पंचायत की कृषि स्थायी समिति द्वारा किया जायेगा । अनुमोदित सूची उप संचालक कृषि को भेजी जायेगी ।
4. जिला स्तर पर विकासखण्ड से प्राप्त सूची का अंतिम अनुमोदन होगा एवं हितग्राहियों को इसकी लिखित सूचना दी जायेगी । यह सूची जनपद पंचायत को दी जायेगी ।
5. चयनित हितग्राही जिलों में पूर्व से सूचीबद्ध किये गये अधिकृत कंपनी / डीलर से अपनी इच्छानुसार ट्रैक्टर एवं पावर टिलर क्रय कर सकेंगे । यदि कृषक चाहे तो मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम से भी ट्रैक्टर एवं पावर टिलर क्रय कर सकेंगे ।

6. हितग्राही द्वारा भुगतान किये गये पक्के बिल की मूल प्रति तथा क्रय प्रमाण पत्र विकासखण्ड स्तर पर किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को प्रस्तुत किया जायेगा । किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग का विकासखण्ड स्तरीय अमला ऐसे ट्रैक्टर एवं पावर टिलर का भौतिक रूप से निरीक्षण करेगा एवं यह सुनिश्चित करेगा कि मशीनें नयी हैं तथा कार्यशील हैं, सत्यापन करेगा एवं अनुदान राशि हितग्राही को देने की अनुशंसा उप संचालक कृषि को करेगा. बिना भौतिक सत्यापन के अनुदान की अनुशंसा नहीं की जायेगी ।

7. जिला स्तर पर उप संचालक द्वारा विकासखण्ड स्तर से प्राप्त अनुदान अनुशंसा सूची अनुसार अधिकतम 30 कार्यदिवस के भीतर हितग्राही के नाम चेक द्वारा अनुदान हितग्राही के पक्ष में अनिवार्यतः जारी किया जावेगा । यदि किसी विशेष कारण से यह अनुदान 30 कार्य दिवस के भीतर जारी नहीं किया जाता है तो उप संचालक कृषि हितग्राही को भुगतान करते समय विलम्ब के कारणों की लिखित रूप से उसे सूचित करेगा । अनुदान की पात्रता प्रथम आये प्रथम पाये सिद्धान्त पर बैंक ऋण/निजी स्त्रोत से ट्रैक्टर/पावर टिलर क्रय करने वाले हितग्राहियों को होगी ।

8. हितग्राहियों द्वारा क्रय किये गये ट्रैक्टर्स एवं पावर टिलर्स की कुल संख्या का 25 प्रतिशत सत्यापन उप संचालक कृषि के द्वारा तथा 50 प्रतिशत सत्यापन अनुविभागीय कृषि अधिकारी के द्वारा किया जावेगा ।

9. हितग्राही द्वारा मैक्रो मैनेजमेंट योजनान्तर्गत इनका स्वयं क्रय किया जायेगा । क्रयकर्ताओं द्वारा बाजार में प्रचलित दर पर क्रय किया जायेगा । इनकी दरों के निर्धारण में विभाग की कोई भूमिका नहीं रहेगी ।

ट्रैक्टर एवं पावर टिलर पर भारत शासन द्वारा जारी अनुमोदित सूची अनुसार ही अनुदान की पात्रता होगी ।

(प्रवेश शर्मा)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

क्रमांक/बी–3–30/2000/14–2 भोपाल, दिनांक 22 मई,2007

प्रतिलिपिः–

1. संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
2. संचालक, कृषि अभियांत्रिकी, मध्यप्रदेश भोपाल ।
3. प्रबन्ध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम, मध्यप्रदेश, भोपाल ।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

C:\Documents and Settings\WIPRO\Desktop\Kc202.doc